वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा.............

पत्र संख्या–पुर0–2/2008 (खण्ड) 584/रा0

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

समाहरणालय मधेपुरा
13 OCT 2014

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)

प्रेषक,

अजय कुमार द्विवेदी,
विशेष सचिव–सह–निदेशक।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,

....

पटना, दिनांक– 26.9.14

विषयः– सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2014–15 के अधीन राज्य के जिला स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रशस्त करने के लिए बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा 'सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' संचालित है। इस योजना के अधीन राज्य के जिला स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में उत्कृष्ट हिन्दी लेखन के लिए 5000/– (पाँच हजार) रुपये का एक पुरस्कार स्वीकृत है।

सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को कार्यान्वित करने हेतु स्वीकृत आलेख (छायाप्रति संलग्न) में अंकित निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित पदाधिकारी/कर्मचारी को यह पुरस्कार देय है।

1247
13.X.14

अतः अनुरोध है कि किसी एक पुरस्करणीय पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम दिनांक–12.11.2014 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। इस योजना के अधीन पूर्व में पुरस्कृत पदाधिकारी/कर्मचारी क़ी अनुशंसा पर विचार नहीं होगा।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव–सह–निदेशक
23.9.14

EF-397563861-IN.

\\COMPUTER-2\e\Pankaj-Ratish\Ram\word\sarkari sewak puraskar 2013-14\Puraskrit (2013-14).doc

समाहरणालय, मधेपुरा

ज्ञापांक-1389 / स्था०, मधेपुरा दिनांक- 14/10/2014

प्रतिलिपि- सभी कार्यालय प्रधान, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि इसे जिला के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाय एवं सभी पदाधिकारियों को ई-मेल भी करने की कृपा की जाय।

14/10/14

प्रभारी पदाधिकारी

कृते सामान्य शाखा, मधेपुरा

14/10/14

सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को कार्यान्वित करने हेतु

आलेख

बिहार सरकार के मन्त्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के द्वारा सरकारी काम–काज में राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग के लिए सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत कुल 6.00 (छः) लाख रु0 की राशि उपबंधित है। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित तीन कोटियों के पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान किया गया हैः–

क्र. सं.	पुरस्कार की कोटि	पुरस्कार की संख्या	प्रति पुरस्कार राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	जिला स्तर पर न्यायिक पदाधिकारियों के लिए	38	5000	190000
2	जिला स्तर पर पदा0/कर्म0 के लिए	38	5000	190000
3	सचिवालय स्तर पर पदा0/कर्म0 के लिए	44	5000	220000
	कुल	120		600000

इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उपर्युक्त तीनों कोटियों के पुरस्कारों के लिये गुणवत्ता का मूल्यांकन करने एवं योग्य सरकारी सेवक का चयन करने हेतु मानदण्ड एवं प्रक्रिया का निम्नवत निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव हैः–

1. न्यायिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए

(क) वर्ष 2014–15 के लिए जिलावार 5000/–(पाँच हजार) रुपये का एक पुरस्कार राज्य के प्रत्येक जिला के न्यायिक सेवा संवर्ग के एक चयनित पदाधिकारी को दिया जाय।

(ख) पुरस्कार के लिए चयन हेतु जिला के न्यायिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों द्वारा विगत एक वर्ष में हिन्दी में दिये गये न्याय निर्णय एवं हिन्दी में किये गये अन्य न्यायिक कार्यो को मुख्य आधार माना जाएगा।

(ग) उपर्युक्त 'ख' के आधार पर गुणवत्ता का मूल्यांकन कर प्रत्येक जिला के न्यायिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों में से एक योग्य पदाधिकारी का चयन कर उसके नाम की अनुशंसा संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर पुरस्कार देय होगा।

(घ) उपर्युक्त के आलोक में न्यायिक सेवा संवर्ग के एक योग्य पदाधिकारी का चालू वित्तीय वर्ष में चयन कर राज्य के प्रत्येक जिला से शीघ्र अनुशंसा देने हेतु सभी जिला एवं सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय से पत्र द्वारा अनुरोध किया जाएगा।

2. जिला स्तर के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए

(क) वर्ष–2014–15 के लिए जिलावार 5000/– (पाँच हजार) रुपये का एक पुरस्कार राज्य के प्रत्येक जिला के जिला स्तरीय संवर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी को विगत एक वर्ष में उनके द्वारा हिन्दी में लिखी गई टिप्पणी की भाषा एवं गुणवत्ता की स्तरीयता के मूल्यांकन के आधार पर चयनित पदा0/कर्म0 को दिया जाए।

(ख) सभी जिलाधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रोत्साहन पुरस्कार के निमित्त अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों से विगत एक वर्ष में लिखी गई टिप्पणी की प्रतिलिपि आमंत्रित की जाएगी। इच्छुक पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपनी किसी एक श्रेष्ठ टिप्पणी की प्रतिलिपि (5 प्रतियों में) जिलाधिकारी के पास विचारार्थ भेजी जाएगी/भेजी गई टिप्पणी किसी संचिका से ही उद्धृत होगी।

(ग) प्राप्त टिप्पणियों का मूल्यांकन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा भाषा एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा।

(घ) जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली इस समिति में, हिन्दी में रुचि एवं योग्यता रखनेवाले पदाधिकारी को इसका सदस्य मनोनीत किया जाएगा।

चयन समिति द्वारा चुने गये एक पदाधिकारी/कर्मचारी के नाम की अनुशंसा जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, राजभाषा (विभाग) को भेजी जाएगी।

3. <u>सचिवालय स्तर के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए</u>

(क) वर्ष–2014–15 के लिए विभागवार 5000/– (पॉच हजार) रुपये का एक पुरस्कार, प्रत्येक विभाग के सचिवालय स्तर के पदाधिकारी/कर्मचारी को विगत एक वर्ष में उनके द्वारा हिन्दी में लिखी गई टिप्पणी की भाषा एवं गुणवत्ता की स्तरीयता के मूल्यांकन के आधार पर चयनित पदा0/कर्म0 को दिया जाएगा। किसी विभाग से एक ही पदा0/कर्म0 का चयन किया जायेगा। कुल पुरस्कारों की संख्या–44 तक सीमित होगी।

विभागों से प्राप्त टिप्पणियों की गुणवत्ता एवं स्तरीयता की जॉच प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञों द्वारा करायी जायगी। तीनों विशेषज्ञ भाषा एवं गुणवत्ता के स्तरीयता के आधार पर टिप्पणियों का मूल्यांकन करेंगे।

(ख) इस योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक पदाधिकारी/कर्मचारी विगत एक वर्ष में अंकित अपनी किसी एक उत्कृष्ट टिप्पणी की प्रतिलिपि (5 प्रतियों में) जिसमें संचिका संख्या एवं वर्ष का उल्लेख शीर्ष भाग पर रहेगा, अपने विभाग के माध्यम से निदेशक राजभाषा, को (निर्धारित तिथि तक) भेज सकते है। टिप्पणियों के मूल्यांकन का आधार उसकी भाषा एवं गुणवत्ता की स्तरीयता होगी।

प्रत्येक विभाग अपने अधीनस्थ अधिकतम तीन पदाधिकारियों/कर्मचारियों की प्रविष्टियॉ भेज सकता है।

(ग) संबद्ध विभाग को इस आशय का प्रमाण–पत्र भी देना होगा कि भेजी गई टिप्पणी संबद्ध सरकारी सेवक द्वारा ही अंकित की गई है तथा संचिका सं0–............... से उद्धृत है।

उपर्युक्त तीनों पुरस्कारों से संबद्ध सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी को इस योजना के संबंध में अलग से पत्र/अनुदेश भेजा जाएगा।

सभी पुरस्कार योजनाओं हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग कार्यालय में प्रविष्टि/अनुशंसा प्राप्ति की अन्तिम तिथि निर्धारित की जाएगी।